[2019] 1 एस. सी. आर 920

सर्वेपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय और अन्य

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2017 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1001)

17 जनवरी, 2019

[एस. ए. बोबडे, एल. नागेश्वर राव और आर. सुभाष रेड्डी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860s। 193 - झूठा साक्ष्य-मनगढ़ंत दस्तावेज़ के आधार पर न्यायालय के समक्ष दिया गया झूठा बयान -

याचिकाकर्ता संख्या 2-कॉलेज को उत्तरदाताओं द्वारा एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी-याचिकाकर्ता संख्या 2 की ओर से आवर्ती खामियां थीं। 2- एम. बी. बी. एस. छात्रों के प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए कॉलेज-परिणामस्वरूप, उत्तरदाताओं ने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए छात्रों के प्रवेश को रद्द कर दिया और कॉलेज को सभी छात्रों को छुट्टी देने का निर्देश दिया।

उच्चतम न्यायालय-उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि कॉलेज उन व्यक्तियों को दिखाकर धोखाधड़ी में लिप्त था जो न्यूनतम आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए रोगियों के रूप में बीमार नहीं थे दूसरी ओर, कॉलेज ने रिकॉर्ड रखा और तर्क दिया कि उनके द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद उत्तरदाताओं द्वारा उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा था।

एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश देने के लिए आवश्यक मानकों का अनुपालन-ए न्यायालय के समक्ष रखे गए आंकड़ों, रिपोर्टों और सामग्रियों की शुद्धता की जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया था-इसके अनुसार,

समिति द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के बाद, कॉलेज ने अपनी ओर से चूक के लिए माफी प्रस्तुत की-आयोजितः माफी स्वीकार नहीं की जा सकती-समिति के निष्कर्षों के आधार पर, यह स्पष्ट था कि कॉलेज द्वारा एक मनगढ़ंत दस्तावेज के आधार पर एक गलत बयान दिया गया था -

समिति द्वारा की गई जांच में अस्पताल में रोगियों की वास्तविकता के बारे में कॉलेज गलत निकला-रोगियों के नकली और अधूरे पते थे, अस्पताल के रिकॉर्ड में-केवल 21 रोगियों की पहचान की गई और उनमें से

ये 8 कॉलेज के कर्मचारी/छात्र निकले-इसके अलावा, संकाय सदस्यों को कहीं और काम करते हुए और काम करते हुए पाया गया अस्पताल-यह स्पष्ट था कि कॉलेज अदालत में धोखाधड़ी करने का दोषी था-कॉलेज प्रशासन इसमें शामिल था

920 सर्वेपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय v. यूओआई

छात्रों के प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम मानकों का कॉलेज ने एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए पैंतरेबाज़ी वाले दस्तावेज़ रखे

- यह मामूली बात है कि प्रत्येक वादी को साफ हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है-एक वादी जो तथ्यों को दबाने में लिप्त होता है और

झूठी गवाही देने के लिए दंडित किया जाना-मेडिकल कॉलेज विनियम, 1999 की स्थापना। 8 (3) (1) (क) और 8 (3) (1) (घ) झूठी गवाही।

मेडिकल कॉलेज विनियम, 1999 की स्थापना।

8 (3) (1) (क) और 8 (3) (1) (घ)-इस उद्देश्य के लिए जाली/नकली दस्तावेज

न्यूनतम आवश्यकताओं का अनुपालन दिखाने के लिए-याचिकाकर्ता संख्या 2

महाविद्यालय को एम. बी. बी. एस. छात्रों को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी।

वर्ष 2014-15-हालांकि, बाद के शैक्षणिक वर्षों के लिए यानी 2015 16,2016-17 और 2017-18, उत्तरदाताओं को गंभीर पाया गया।

महाविद्यालय की मूल्यांकन रिपोर्ट में कमियां

वहाँ थे।

याचिकाकर्ता-कॉलेज और उत्तरदाताओं के बीच मुकदमों के विभिन्न दौर-अंत में, उत्तरदाताओं ने प्रवेश रद्द कर दिया शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए छात्रों ने कॉलेज को सभी छात्रों को छुट्टी देने का निर्देश दिया-सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका लिखें

- कॉलेज ने रिकॉर्ड रखे और तर्क दिया कि वे थे उनके बावजूद उत्तरदाताओं द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया गया

एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देने के लिए आवश्यक मानकों का अनुपालन-आयोजितः कॉलेज गुमराह करने के लिए हेरफेर किए गए रिकॉर्ड पर निर्भर था

अनुकूल आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय कॉलेज आदतन गड़बड़ी में लिप्त रहा है जो स्पष्ट है

2015 में घटनाओं के क्रम से, जब संकाय सदस्यों को कहीं और काम करते हुए और अस्पताल चलाते हुए पाया गया-वहाँ थे अस्पताल के अभिलेखों में रोगियों के नकली और अधूरे पते-कॉलेज अनुमति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन दिखाने में बड़े पैमाने पर कदाचार में लिप्त थे

छात्रों के प्रवेश के लिए-इस प्रकार, कॉलेज को अगले दो वर्षों के लिए प्रथम वर्ष के एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश देने से रोक दिया गया है।

यानी 2018-19 और 2019-20-इसके अलावा, रुपये का जुर्माना। अदालत में धोखाधड़ी करने के लिए कॉलेज पर पांच करोड़ का जुर्माना लगाया गया-जहाँ तक

जिन छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए कॉलेज में भर्ती कराया गया था, वे चिंतित हैं, उन्हें विधिवत चेतावनी दी गई थी और [2019] 1 एस. सी. आर.

सूचित किया कि उनका प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम था और वे किसी भी इक्विटी का दावा नहीं कर सकते हैं यदि बाद में कॉलेज में कमी पाई गई तो सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व आदेश द्वारा, उन्हें वर्ष 2018-19 के लिए अन्य मेडिकल कॉलेजों में समायोजित करने का निर्देश दिया गया था-हालाँकि, वे कॉलेज-पेनल्टी-इक्विटी में प्रवेश के लिए उनसे एकत्र शुल्क की वापसी के हकदार हैं।

रिट याचिकाओं को खारिज करना,

पकड़नाः 1. समिति के निष्कर्षों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि कॉलेज द्वारा गलत बयान दिया गया है

एक मनगढ़ंत दस्तावेज़ का आधार। महाविद्यालय द्वारा लिखित याचिका में यह कहा गया था कि 25 सितंबर, 2017 को निरीक्षण के समय अस्पताल में 365 मरीज थे, लेकिन निरीक्षण दल ने दर्ज किया कि केवल सात मरीज उपलब्ध थे। प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, चिकित्सा अभिलेख विभाग के कम्प्यूटरीकृत डेटा पर निर्भरता रखी गई थी। जनवरी, 2018 से पहले अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों के विवरण का अध्ययन करने के लिए समिति द्वारा एकत्र की गई हार्ड डिस्क खाली पाई गई और कोई डेटा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। अस्पताल में रोगियों की वास्तविकता के बारे में कॉलेज द्वारा किया गया दावा समिति द्वारा की गई जांच में गलत साबित हुआ। समिति को गंभीर संदेह था कि क्या रोगियों को वास्तव में भर्ती किया गया था। ज्यादातर मामले

पत्र, प्रिस्क्रिप्शन, ऑपरेटिव नोट्स आदि एक ही व्यक्ति द्वारा बहुत ही गैर-पेशेवर तरीके से लिखे गए प्रतीत होते हैं। द.

हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्टों को अस्पष्ट और अपूर्ण पाया गया। केस शीट की गहन जांच पर, एम्स के विशेषज्ञों ने राय दी कि कई मामलों में रोगियों का प्रवेश अनावश्यक था। नकली को देखते हुए और

अस्पताल के रिकॉर्ड में उल्लिखित अधूरे पते, अधिकांश रोगियों का पता नहीं चल सका। केवल 21 रोगियों की पहचान की गई और इनमें से 8 कॉलेज के कर्मचारी/छात्र निकले। यह सब दर्शाता है कि कॉलेज छात्रों के प्रवेश के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन दिखाने में बड़े पैमाने पर कदाचार में लिप्त रहा है। कॉलेज ने आगे इस न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की कि वह छात्रों के प्रवेश के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए हर तरह से अनुपालन करता है।

[पैरा 13] [938-बी-एफ] सर्वेपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय v. यूओआई

2. जिस निर्लज्ज तरीके से कॉलेज ने इस अदालत को गुमराह करने के लिए हेरफेर किए गए रिकॉर्ड पर भरोसा किया है

अनुकूल आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से निपटा जाना चाहिए

झूठी गवाही। एक लाख रुपये का जुर्माना। इस अदालत में धोखाधड़ी करने के लिए कॉलेज पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस राशि का भुगतान उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति के खाते में किया जा सकता है। [पारस 15,18] [938-जी-एच; 939-ए-बी; 940-बी] 4. यह न्यायालय कॉलेज की ओर से दी गई माफी को स्वीकार नहीं कर सकता है। कॉलेज आदतन गड़बड़ी में लिप्त रहा है जो 2015 की घटनाओं से स्पष्ट है जब संकाय सदस्य कहीं और काम करते पाए गए थे और

अस्पताल चला रहे हैं। एमसीआई, सरकार और इस अदालत को धोखा देने के प्रयास में कॉलेज द्वारा दिखाए गए साहस की निंदा की जानी चाहिए। [पैरा 16] [939-सी]

5. शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया था, वे विधिवत थे।

आगाह किया और सूचित किया कि उनका प्रवेश विशुद्ध रूप से था

अनंतिम और यदि बाद में कॉलेज में कमी पाई गई तो वे किसी भी इक्विटी का दावा नहीं कर सकते। उन्हें वर्षों 2018-19 के लिए अन्य कॉलेजों में प्रवेश लेने का निर्देश दिया गया है। इस प्रक्रिया में,

छात्रों ने एक बहुमूल्य शैक्षणिक वर्ष खो दिया है। हालाँकि, वे कॉलेज में प्रवेश के लिए उनसे एकत्र किए गए शुल्क की वापसी के हकदार हैं। [पैरा 17] [939-ई-एफ] [2019] 1 एस. सी. आर.

6. उपरोक्त कारणों से, निम्नलिखित आदेश है -

पारित कियाः

(i) मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान के डीन

केंद्र अर्थात याचिकाकर्ता संख्या 2-इसमें आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी है। इस न्यायालय के महासचिव को दिल्ली में अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय में अभियोजन शुरू करने के लिए एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

((ii) महाविद्यालय को इसके लिए प्रवेश देने से रोक दिया गया है।

1 अगले दो वर्षों के लिए प्रथम वर्ष का एमबीबीएस पाठ्यक्रम अर्थात 2018-19 और 2019-2020।

((iii) एक लाख रुपये का जुर्माना। कॉलेज पर पांच करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।

इस न्यायालय में धोखाधड़ी करने के लिए। इस राशि का भुगतान उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति के खाते में किया जा सकता है।

(iv) छात्र शुल्क की वापसी प्राप्त करने के हकदार हैं।

शैक्षणिक वर्ष 2017-19 के लिए कॉलेज में प्रवेश के लिए उनके द्वारा भुगतान किया गया। इसके अलावा, कॉलेज को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है

रुपये का मुआवजा। उक्त छात्रों को एक लाख। [पैरा 18] [939-जी; 940-ए-सी]

रे में। आर. करुप्पन के खिलाफ सुओ मोटू कार्यवाही,

अधिवक्ता (2001) 5 एससीसी 289: [2001] 3 एससीआर 750;

मोहन सिंह बनाम। अमर सिंह (1998) 6 एससीसी 686: [1998] 1

पूरक। एस. सी. आर. 252-निर्भर।

भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम। एम. जी. आर. शैक्षिक और

अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय (2015) 4 एस. सी. सी. 580: [2015]

5 एस. सी. आर. 579; भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम। कलिंग

आयुर्विज्ञान संस्थान (केआईएमएस) (2016) 11 एससीसी 530 [2016] 4 एस. सी. आर. 403; टी. एन. गोडावर्मन थिरुमलपद

 वी. अशोक खोट और अन्न। (2006) 5 एससीसी 1: [2006]

2 पूरक। एस. सी. आर. 215-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2001] 3 एससीआर 750

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

उस पर भरोसा करें

[1998] 1 पूरक। एससीआर 252

पै

रा 12

[2015] 5 एससीआर 579

पै

रा 15

संदर्भित किया गया है

[2016] 4 एससीआर 403

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[2006] 2 पूरक। एससीआर 215

संदर्भित किया गया है

पैरा 15 सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय v. यूओआई

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः 2017 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1001।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

के साथ

2018 की रिट याचिका (सी) संख्या 731।

विवेक तन्खा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुमित नेमा, प्रशांत शिवराजन, अमलपुष्प श्रोती, हर्ष पराशर, अमंद पांडे, अभिमन्यु सिंह, आदित्य सिंह, गौरव शर्मा, प्रतीक भाटिया, धवल मोहन, प्रसाना मोहन, अर्जुन गर्ग, सनी चौधरी, राजेश श्रीवास्तव, सुश्री प्रगति नीखरा, दानिश जुबैर खान, नीरज शर्मा, कुश चतुर्वेदी, अमित शर्मा, देवाशीष भरुका, अमरीश कुमार। शर्मा (जी. एस. मक्कर के लिए), पी. के. डे, मेरुसागर सामंत्रे, लितेश कृष्णा, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

भारतीय परिषद, शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिए सालाना 150 एमबीबीएस सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ। 23 और 24 फरवरी, 2015 को शैक्षणिक वर्ष के लिए 150 एमबीबीएस छात्रों के दूसरे बैच के प्रवेश के लिए नवीनीकरण अनुदान के लिए एक निरीक्षण किया गया था। द. भारतीय चिकित्सा परिषद (एम. सी. आई.) ने केंद्र सरकार से मूल्यांकन रिपोर्ट में पाई गई कमियों को देखते हुए शैक्षणिक वर्ष के लिए 150 एम. बी. बी. एस. छात्रों के दूसरे बैच के प्रवेश की अनुमति को अस्वीकार करने की सिफारिश की। केंद्र सरकार के अनुरोध पर प्रतिवादी संख्या 2 की कार्यकारी समिति द्वारा समीक्षा/पुनर्मूल्यांकन किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 की कार्यकारी समिति

इस मामले पर पुनर्विचार किया और केंद्र सरकार से एमबीबीएस छात्रों के दूसरे बैच के लिए अनुमति का नवीनीकरण नहीं करने की सिफारिश की।

शैक्षणिक सत्र 2015-16। एक और सिफारिश की गई थी कि कॉलेज को अगले दो शैक्षणिक सत्रों के लिए प्रवेश देने से रोक दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा की गई सिफारिश और नवीनीकरण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। एसएलपी (सी) में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एक और समीक्षा/पुनर्मूल्यांकन किया गया था।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2015 का No.19543 दिनांक 8 सितंबर, 2015 के आदेश के अनुसार। महाविद्यालय को सुनवाई का अवसर देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। महाविद्यालय को एम. बी. बी. एस. के दूसरे बैच में प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी गई थी।

28 सितंबर, 2015 के उत्तरदाता संख्या 1 के आदेश द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए छात्र। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 सितंबर, 2015 के उक्त आदेश को रद्द कर दिया और केंद्र सरकार को 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 9663 में 29 दिसंबर, 2015 के अपने आदेश के माध्यम से मामले की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2016 के एक आदेश द्वारा कॉलेज को एमबीबीएस छात्रों के दूसरे बैच को प्रवेश देने की अनुमति नहीं देने के अपने फैसले को दोहराया। एक और। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 11 मई, 2016 को 2015 की रिट याचिका (सी) No.21223 में निरीक्षण का आदेश दिया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 11 मई, 2016 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए 2016 की एसएलपी (सी) No.14729 दायर की। 15 जुलाई, 2016 को इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि एक नया निरीक्षण किया जाना चाहिए। 15 जुलाई, 2016 के आदेश को इस न्यायालय द्वारा 9 सितंबर, 2016 को संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा निगरानी समिति से वर्ष 2016-17 के लिए कॉलेज में छात्रों के प्रवेश से संबंधित मामले पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।

2. 27 सितंबर, 2016 के एक आदेश द्वारा, निगरानी समिति ने कॉलेज को वर्ष 2016-17 के लिए छात्रों के प्रवेश के लिए मंजूरी दे दी। निरीक्षण समिति ने महाविद्यालय को कमियों को सुधारने और 27 सितंबर, 2016 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। महाविद्यालय को सूचित किया गया कि एक लाख रुपये की बैंक गारंटी। 27 सितंबर, 2016 तक प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में दो करोड़ रुपये जमा करने होंगे। यह कहा गया था कि निगरानी समिति द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन न करने के परिणामस्वरूप कॉलेज को दो साल के लिए नए प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। 150 छात्रों का दूसरा बैच शैक्षणिक वर्ष 2016-17 को केंद्र सरकार द्वारा नवीकरण के लिए दी गई सशर्त अनुमति के अनुसार प्रवेश दिया गया था।

3. एमबीबीएस के तीसरे बैच की अनुमति के नवीनीकरण के लिए 5 और 6 जनवरी, 2017 को एक संयुक्त सत्यापन निरीक्षण किया गया था

शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए छात्र। बुनियादी ढांचे, नैदानिक सामग्री, शिक्षण संकाय और अन्य भौतिक सुविधाओं में सकल कमियों का पता लगाना।

महाविद्यालय में सुविधाओं, प्रत्यर्थी संख्या 2 की कार्यकारी समिति ने निष्कर्ष निकाला कि महाविद्यालय द्वारा 28 सितंबर, 2016 को दिए गए वचन का उल्लंघन किया गया था। समिति ने केंद्रीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय v. को सिफारिश करने का निर्णय लिया।

यू. ओ. आई. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

सरकार कॉलेज को शैक्षणिक वर्षों 2017-18 और 2018-19 के लिए छात्रों को प्रवेश देने से रोकेगी। केंद्र सरकार ने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और

31 मई, 2017 के आदेश ने कॉलेज को 2017-18 और 2018-19 वर्षों के लिए प्रवेश करने से रोक दिया। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के 31 मई, 2017 के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए कॉलेज द्वारा दायर 2017 की रिट याचिका (सी) No.8100 को मंजूरी दे दी। महाविद्यालय को अस्थायी रूप से 150 छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 21 जुलाई, 2017 के फैसले से व्यथित उत्तरदाता संख्या 2 ने इससे पहले 2017 की एसएलपी (सी) No.20400 दायर की थी। अदालत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पुनः निरीक्षण की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा 14 अगस्त, 2017 के एक आदेश द्वारा की गई थी। उक्त आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि छात्रों का प्रवेश पूरी तरह से अस्थायी होगा, जो निरीक्षण के परिणाम पर निर्भर करेगा। यह भी उल्लेख किया गया कि यदि कॉलेज निरीक्षण में विफल रहता है तो छात्रों का प्रवेश रद्द किया जा सकता है और छात्र किसी भी इक्विटी का दावा करने के हकदार नहीं होंगे। छात्रों को परामर्श समिति द्वारा उक्त शर्त के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया था। एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम के लिए महाविद्यालय में छात्रों के चौथे बैच के नवीनीकरण के लिए 14 और 15 सितंबर, 2017 को एक निरीक्षण आयोजित किया जाना था। प्रत्यर्थी संख्या 2 के अनुसार, उक्त निरीक्षण को बीच में ही निरस्त करना पड़ा क्योंकि मूल्यांकनकर्ताओं के साथ हाथापाई की गई और उन्हें कॉलेज छोड़ने के लिए शारीरिक रूप से मजबूर किया गया। महाविद्यालय द्वारा किए गए अनुरोध पर 25 और 26 सितंबर, 2017 को एक और निरीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 की कार्यकारी समिति ने विचार किया

26 सितंबर, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में मूल्यांकन रिपोर्ट में निर्णय लिया गया कि 25 और 26 सितंबर, 2017 को किए गए निरीक्षण में पाई गई निम्नलिखित कमियों को देखते हुए वर्ष के 150 एमबीबीएस छात्रों के चौथे बैच के प्रवेश को रद्द कर दिया जाना चाहिएः

" I. मूल्यांकन के दिन सुबह 10 बजे बिस्तर अधिभोग था

01.07 % (यानी 410 में से 7)।

II. उस दिन कोई बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन नहीं हुआ था।

मूल्यांकन।

III. उस दिन शून्य सामान्य डिलीवरी या एल. एस. सी. एस. था।

मूल्यांकन।

IV. हताहतों की उपस्थिति जैसी नैदानिक सामग्री का डेटा,

निर्वहन, प्रमुख और लघु संचालन, [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संस्थान द्वारा प्रदान की गई रेडियोलॉजिकल जांच

फूले हुए हैं।

वी. आई. सी. यू.: एन. आई. सी. यू./पी. आई. सी. यू. में कोई मरीज नहीं था और केवल 1 मरीज था।

प्रत्येक मूल्यांकन के दिन आई. सी. सी. यू., एम. आई. सी. यू., एस. आई. सी. यू. में।

VI. ब्लड बैंकः एन. आई. एल. इकाई को मूल्यांकन के दिन वितरित किया गया था।

VII. संकाय की कमी 15.65% है जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है।

VIII. निवासियों की कमी 40 प्रतिशत है जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है।

IX. आहार क्रम उस दिन रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था

मूल्यांकन।

एक्स. एम. आर. डी. आंशिक रूप से मैनुअल है।

केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में XI.Facilities पर्याप्त नहीं हैं।

एन. आई. एल. चल रही या पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं हैं।

बारहवीं। आरएचटीसीः शीत श्रृंखला उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। सर्वेक्षण

/ एमसीएच/टीकाकरण/परिवार कल्याण रजिस्टर नहीं हैं

उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत कोई गतिविधि नहीं निष्पादित किए जाते हैं।

XIII.UHCC: शीत श्रृंखला उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। सर्वेक्षण

/ एमसीएच/टीकाकरण/परिवार कल्याण रजिस्टर नहीं हैं

उपलब्ध है "।

4. उत्तरदाता संख्या 2 की कार्यकारी समिति ने आगे निर्णय लिया

(बी)-तृतीय और चतुर्थ नवीकरण के चरण में कॉलेज (यानी चौथे और पांचवें बैच का प्रवेश): [यदि संस्थान के किसी भी निरीक्षण के दौरान यह देखा जाता है कि शिक्षण की कमी संकाय और/या निवासी 20 प्रतिशत से अधिक हैं और/या बिस्तर अधिभोग 65 प्रतिशत से कम है, ऐसे संस्थान से कमियों के

सुधार के अनुपालन पर उस शैक्षणिक वर्ष में अनुमति के नवीनीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा।]
सर्वेपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय v.

यू. ओ. आई. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

बेड ऑक्यूपेंसी और निवासियों में पाई जाने वाली कमियों को देखते हुए विनियम, 1999 ("एमसीआई विनियम") को लागू किया जाना चाहिए। ने कहा कि

प्रतिवादी संख्या 2 के निर्णय को निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। 5. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कॉलेज को 29 सितंबर, 2017 के अपने पत्र द्वारा शैक्षणिक वर्ष के लिए भर्ती किए गए सभी छात्रों को छुट्टी देने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव (चिकित्सा प्रभाग विभाग), मध्य प्रदेश सरकार-उत्तरदाता संख्या 3-इसमें थे

शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए महाविद्यालय में किए गए छात्रों के प्रवेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

6. 29 सितंबर, 2017 को कॉलेज को भेजे गए पत्र

और प्रत्यर्थी संख्या 3 इस रिट याचिका में चुनौती का विषय है। महाविद्यालय ने एक और निर्देश की मांग की कि मूल्यांकनकर्ता की मार्गदर्शिका के अनुसार सख्ती से एक नया निरीक्षण किया जाना चाहिए। 23 अक्टूबर, 2017 को नोटिस जारी करते हुए, इस न्यायालय ने 29 सितंबर, 2017 के संचार के संचालन पर रोक लगा दी। 24 अक्टूबर, 2017 को यह स्पष्ट किया गया था कि 2017 के एसएलपी (सिविल) संख्या 20400 में 14 अगस्त, 2017 के आदेश के अनुसार प्रवेश लेने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद, एक विचार पर

25 और 26 सितंबर, 2017 के निरीक्षण और दोनों पक्षों की ओर से की गई दलीलों के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट, इस न्यायालय ने 14 दिसंबर, 2017 के एक आदेश द्वारा छात्रों के प्रवेश को रद्द करने का निर्देश दिया। इस न्यायालय ने 14 अगस्त, 2017 के उस आदेश पर ध्यान दिया जिसमें छात्रों का प्रवेश निरीक्षण के परिणाम के अधीन किया गया था। चूँकि कॉलेज द्वारा अपेक्षित मानकों के गैर-अनुपालन में छात्रों को सहभागी नहीं पाया गया और उनकी कोई भूमिका नहीं पाई गई, इसलिए इस न्यायालय ने छात्रों को अन्य कॉलेजों में समायोजित करने का निर्देश देना समीचीन माना। 25 और 26 सितंबर, 2017 को किए गए निरीक्षण के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट का उल्लेख करके, उत्तरदाता संख्या के लिए वरिष्ठ वकील ने सीखा। 1 और 2 ने प्रस्तुत किया कि कॉलेज केवल न्यूनतम अनुपालन दिखाने के उद्देश्य से उन व्यक्तियों को रोगी के रूप में दिखाकर धोखाधड़ी में लिप्त था जो बीमार नहीं थे

आवश्यकताएँ। महाविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

उक्त तर्क का खंडन किया और तर्क दिया कि सभी रोगी वास्तविक थे। चूंकि यह न्यायालय आरोपों की सच्चाई या अन्यथा निर्धारित करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए कॉलेज द्वारा रिट याचिका के साथ इस न्यायालय के समक्ष रखे गए आंकड़ों, रिपोर्टों और सामग्री की शुद्धता की जांच करने का निर्देश दिया गया था। उक्त उद्देश्य के लिए, ए

इस न्यायालय द्वारा समिति का गठन किया गया था। [2019] 1 एस. सी. आर. द्वारा प्रतिनियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी

निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) को उस समिति का नेतृत्व करने का निर्देश दिया गया था जिसमें अखिल भारतीय स्तर के दो डॉक्टर होंगे।

आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) इसके सदस्यों के रूप में। यह ध्यान देने योग्य है कि 14 दिसंबर, 2017 के उक्त आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए तो कॉलेज को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) की धारा 193 के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है। इस न्यायालय द्वारा एक समिति के गठन का निर्णय कॉलेज द्वारा अभिलेख पर रखी गई भारी मात्रा में सामग्री की गहन जांच के बाद लिया गया था। यह सामग्री कई तस्वीरों से बनी थी जिसमें रोगियों को बिस्तरों पर बैठे हुए दिखाया गया था

और उनकी केस शीट। तस्वीरों के एक नंगे अवलोकन ने हमें आश्वस्त नहीं किया कि रोगी वास्तविक थे। केस शीट की बारीकी से जांच के बाद, हमें मामूली बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को रोगियों के रूप में भर्ती करने की आवश्यकता के बारे में गंभीर संदेह था।

7. जिन छात्रों को वर्ष के लिए महाविद्यालय में प्रवेश दिया गया था

2017-18 इस न्यायालय द्वारा 3 जुलाई, 2018 को पारित एक आदेश द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के अन्य निजी मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष के लिए समायोजित करने का निर्देश दिया गया था। छात्रों को निर्देश दिया गया था कि वे उन कॉलेजों में शुल्क का भुगतान करें जिनमें वे प्रवेश लेते हैं। 3 जुलाई, 2018 के उक्त आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि कॉलेज में प्रवेश के लिए भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के लिए छात्रों की पात्रता पर रिट याचिका की अंतिम सुनवाई में निर्णय लिया जाएगा।

8. इस न्यायालय द्वारा 14 दिसंबर, 2017 को नियुक्त समिति ने 12 जुलाई, 2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया था

अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कि समिति ने 29 जनवरी, 2018 को सुबह लगभग 1 बजे कॉलेज का दौरा किया और पाया कि रोगी ओ. पी. डी. के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र में है।

पंजीकरण पूरी तरह से खाली था। अस्पताल के कई वार्डों का दौरा करने के बाद समिति ने पाया कि रोगियों की उपस्थिति बहुत कम थी

और ओ. पी. डी./वार्ड में भर्ती होने वाले मरीज रोगियों की वास्तविक संख्या के अनुरूप नहीं थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि रोगियों की मेडिकल केस फाइलों की जांच से पता चला कि उन्हें भर्ती करने की आवश्यकता नहीं थी। केस ड्यूटी रोस्टर

ड्यूटी के लिए वार्डों में डॉक्टरों के साथ-साथ नर्सें भी उपलब्ध नहीं थीं और ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर यह पहचानने और पुष्टि करने में सक्षम नहीं थे कि केस फाइलों पर केस नोट्स/प्रगति नोट्स किसने लिखे थे।

9. समिति ने 25 और 26 सितंबर, 2017 को किए गए निरीक्षण की तारीख को अस्पताल में भर्ती 435 रोगियों के मेडिकल शीट एकत्र किए।

हार्ड डिस्क वेपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय v. यू. ओ. आई. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

7 जनवरी, 2018 से पहले जिन लोगों को भर्ती किया गया था, उनके विवरण के सत्यापन के लिए अस्पताल से प्राप्त किया गया था। यह पाया गया कि हार्ड डिस्क खाली थी और उसमें विस्तृत जांच के बाद समिति का निष्कर्ष नहीं था

निम्नलिखितः

. याचिकाकर्ता कॉलेज ने दावा किया है कि 6 डॉक्टर डॉ. रितेश कुमावत, डॉ. एम. आर. गायकवाड़, एस. बी. पेटकर, डॉ.

दीपक कलादगी, डॉ. जितेंद्र गुप्ता और डॉ. राम

बल्लभ ठाकुर एमसीआई के निरीक्षण में शामिल नहीं हो सके।

25.09.2017 क्योंकि उन्हें मोटर दुर्घटना के मामले में अदालत/पुलिस द्वारा तलब किया गया था। हालांकि, इस तरह के दावे को गलत पाया गया। डॉ. रितेश कुमावत, डॉ. एम. आर. गायकवाड़, एस. बी. पेटकर, डॉ. दीपक कलादगी, डॉ. जितेंद्र गुप्ता, डॉ. राम बल्लभ ठाकुर जैसे सभी छह डॉक्टरों ने जांच करने पर मोटर दुर्घटना के संबंध में पुलिस से कोई नोटिस मिलने से इनकार किया।

. 10 डॉक्टरों में से (वरिष्ठ निवासी/जूनियर) निवासी) जिन्हें याचिकाकर्ता कॉलेज के बल पर मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा इस आधार पर संकाय के रूप में नहीं गिना गया था कि वे थे

कॉलेज के छात्रावास में नहीं रहने वाले 9 डॉक्टर हो सकते हैं

संपर्क किया गया, उन 9 डॉक्टरों की जाँच से पता चलाः

07 डॉक्टरों ने पूछताछ के दौरान पुष्टि की कि वे कॉलेज परिसर में छात्रावास में नहीं रह रहे थे और वे

ध्यान दें। शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए एम. सी. आई. द्वारा जारी मूल्यांकनकर्ता गाइड के अनुसार छात्रावास में रहना अनिवार्य है। अन्य दो रेजिडेंट डॉक्टरों, डॉ. मीनल परमार और डॉ. अर्पिता मिश्रा ने कहा कि वे छात्रावास में रह रहे थे, लेकिन उनके बारे में विचार नहीं किया गया।

एम. सी. आई. मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा महाविद्यालय।

8 रेजिडेंट डॉक्टरों में से जिन याचिकाकर्ता कॉलेज ने रात की ड्यूटी पर होने का दावा किया था और इसलिए वे पहले पेश नहीं हो सके

एम. सी. आई. के मूल्यांकनकर्ताओं ने सुबह 11 बजे तक की जांच से पता चला कि

उपर्युक्त 8 रेजिडेंट डॉक्टरों में से 6 डॉक्टरों ने कहा कि वे याचिकाकर्ता [2019] 1 एस. सी. आर. के वेतन पर नहीं थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निरीक्षण के दिन कॉलेज अर्थात 25.09.2017। यहां तक कि उनमें से 4 डॉक्टरों ने भी कहा था कि वे कभी भी इसमें शामिल नहीं हुए। अस्पताल।

1 डॉक्टर (डॉ. रितेश कुमावत) ने कहा कि वह निरीक्षण के दिन मौजूद नहीं थे, यानी 25.09.2017।

और एक अन्य डॉक्टर डॉ. देवयानी पटेल वहाँ मौजूद थीं।

25.09.2017 लेकिन उन्हें एमसीआई द्वारा सही ढंग से बाहर रखा गया था मूल्यांकनकर्ता के रूप में वह दोपहर 12 बजे तक अपनी उपस्थिति नहीं बना सकी (जो मूल्यांकनकर्ता की मार्गदर्शिका के अनुसार अनिवार्य था)।

डॉ. प्रियंक जैन, डॉ. मनोज साहू और डॉ. अमित जैन नाम के 3 डॉक्टर, जिनका एमसीआई मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ निवासी डॉक्टरों के रूप में इलाज नहीं किया गया था, इस तथ्य को देखते हुए कि उन तीनों को 05.01.2017 पर पहले के निरीक्षण पर वरिष्ठ निवासी डॉक्टरों के रूप में इलाज किया गया था, उचित नहीं लगता है।

. दो शिक्षक जिन्हें में उपस्थित दिखाया गया है

महाविद्यालय द्वारा मूल्यांकन मूल्यांकन में शामिल नहीं हुआ था

25.09.2017 पर कार्यवाही।

आई. याचिकाकर्ता कॉलेज के रिकॉर्ड में उल्लिखित पते के अस्पष्ट और अधूरे प्रकार के कारण, अधिकांश रोगियों को केवल नामों के रूप में नहीं पाया जा सका

कॉलोनियों और उप क्षेत्रों को पाया गया है

रोगी केस शीट पर उल्लिखित। चिन्हित 21 रोगियों में से 8 आर. के. डी. एफ. के कर्मचारी/छात्र हैं।

संस्थाएं।

वी. रोगियों के केस शीट के चिकित्सा विश्लेषण के आधार पर एम्स के अधिकांश डॉक्टरों का मानना है कि यह संदेह है कि ये सभी रोगी वास्तव में थे।

स्वीकार किया और वह भी इतनी लंबी अवधि के लिए।

. अधिकांश डॉक्टरों की यह भी राय है कि भर्ती किए जाने वाले मामलों की सीमा पूरी तरह से अपर्याप्त थी।

छात्रों का प्रशिक्षण।

आई. डॉक्टरों की यह भी राय थी कि अधिकांश केस शीट में पर्चे, ऑपरेटिव नोट्स आदि होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया था

गैर-पेशेवर तरीके से। हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट भी हैं

बहुत ही अस्पष्ट और अपूर्ण।

वेपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय v. यू. ओ. आई. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

ii. डॉ. एस. सी. शर्मा, प्रोफेसर और एच. ओ. डी., ई. एन. टी. विभाग, एम्स ने रोगियों के 14 मेडिकल शीट्स की जांच की है।

याचिकाकर्ता कॉलेज के ई. एन. टी. विभाग में बिस्तर पर 25/25.09.2017 पर दिखाया गया है। उनकी राय के अनुसार अधिकांश रोगी काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

viii. डॉ. एच. एल. नाग, प्रोफेसर, ऑर्थोपेडिक्स, एम्स ने याचिकाकर्ता कॉलेज के ऑर्थोपेडिक्स विभाग में बिस्तर पर दिखाए गए रोगियों के 52 मेडिकल शीट की जांच 25/26.09.2017 पर की है। उनका मानना था कि उनमें से अधिकांश मामलों को अस्पताल में भर्ती किए बिना प्रबंधित किया जा सकता था।x. डॉ. नवल किशोर विक्रम, प्रोफेसर जनरल मेडिसिन

टीबी और चेस्ट विभाग की दवा और 12 मरीज जिन्हें 25/26.09.2017 पर बिस्तर पर दिखाया गया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि यह संदिग्ध प्रतीत होता है कि वे रोगी थे

वास्तव में अस्पताल में भर्ती। अधिकतर मरीज

ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न दवाओं द्वारा अत्यधिक उपचार किया गया है,

विशेष रूप से एंटीबायोटिक्स। उन्होंने यह भी माना कि अधिकांश मामलों में निदान की संख्या सीमित थी जो पूरी तरह से अपर्याप्त है

चिकित्सा छात्रों के प्रशिक्षण के लिए।

. डॉ. पंकज हरि, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स विभाग, एम्स ने याचिकाकर्ता कॉलेज के पीडियाट्रिक्स विभाग में बिस्तर पर दिखाए गए रोगियों के 62 मेडिकल शीट की जांच 25/26.09.2017 पर की है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भर्ती किए गए मामलों में सीमित निदान होता है जो प्रशिक्षण के लिए काफी अपर्याप्त है

एक मेडिकल कॉलेज में छात्र। उन्होंने उन मेडिकल फाइलों की प्रामाणिकता पर भी संदेह जताया।

आई. डॉ. विनोद के. खेतान, प्रोफेसर, विभाग

एम्स के त्वचा विज्ञान और वेनेरलॉजी ने त्वचा विज्ञान में बिस्तर पर दिखाए गए रोगियों के 10 चिकित्सा पत्रकों की जांच की याचिकाकर्ता कॉलेज का विभाग 25/26.09.2017 पर। उन्होंने रोगी की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह व्यक्त किया

वास्तव में स्वीकार किया। उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया कि भर्ती किए गए मामलों की संख्या और उनका कार्य छात्रों के प्रशिक्षण के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है।

ii. डॉ. नम्रता शर्मा, प्रोफेसर, विभाग। नेत्र विज्ञान विभाग, एम्स ने निष्कर्ष निकाला है कि कुल 17 मामलों में से 02 रोगियों को भर्ती करने की आवश्यकता थी, जबकि अन्य सभी मामलों में रोगी को डे केयर ओ. पी. डी. के तहत प्रबंधित किया जा सकता था। iii. डॉ. ममता सूद, प्रोफेसर, विभाग। मनोचिकित्सा विभाग, एम्स ने 25 तारीख को याचिकाकर्ता कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग में बिस्तर पर दिखाए गए रोगियों के 08 मेडिकल शीट की जांच की। हालांकि वह ज्यादातर इस बात से सहमत थीं कि रोगियों को दिया जाने वाला उपचार उचित था, लेकिन वह

राय दी कि उन्हें भर्ती करने की आवश्यकता नहीं थी।

iv. डॉ. ओंगिक्ला भूटिया, प्रोफेसर, मौखिक विभाग

मैक्सिलोफैसिल सर्जरी, एम्स ने 11 मेडिकल शीट्स की जांच की

ओरल मैक्सिलोफेशियल में बिस्तर पर दिखाए गए रोगियों में से

याचिकाकर्ता कॉलेज का शल्य चिकित्सा विभाग

25 / 26.09.2017 . डॉक्टर ने राय दी कि निदान

दोहरावदार दिखाई दिया। न तो प्री-ऑपरेटिव रेडियोग्राफी और न ही पोस्ट-ऑपरेटिव रेडियोग्राफी रिकॉर्ड पर पाई गई। शल्य चिकित्सा के लिए सहमति भी कुछ में अनुपस्थित पाई गई

मामले।

वी. डॉ. दीपिका डेका, प्रोफेसर, विभाग। प्रसूति और स्त्री रोग विभाग, एम्स ने याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रसूति और स्त्री रोग विभाग में बिस्तर पर दिखाए गए रोगियों के 56 मेडिकल शीट की जांच 25/26.09.2017 पर की थी। उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि क्या वास्तविक शल्य चिकित्सा की गई थी या नहीं।

उन्होंने इसकी वास्तविकता पर भी संदेह जताया

उन रोगियों के लिए प्रवेश दिखाया गया।

ii. डॉ. सुबोध कुमार, प्रोफेसर, विभाग। सर्जिकल

अनुशासन, एम्स ने 96 चिकित्सा पत्रों की जांच की

25/26.09.2017 पर बिस्तर पर मरीज। उन्होंने गंभीर संदेह पैदा किया।

वास्तव में भर्ती किए गए रोगियों की वास्तविकता पर। वह.

यह भी अभिनिर्धारित किया कि स्वीकार किए जाने वाले मामलों का दायरा था

छात्रों के प्रशिक्षण के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त।

. जब मामला 5 दिसंबर, 2018 को सूचीबद्ध किया गया था, तो श्री विवेक ने कॉलेज की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील को प्रस्तुत किया

कॉलेज अपनी ओर से चूक के लिए माफी मांगने का इरादा रखता है।

सर्वेपल्ली राधाकृष्णन

विश्वविद्यालय v. यूओआई

[एल. नागेश्वर राव, जे.]

उन्होंने हमसे इस मामले को शांत करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि संस्थान में वर्तमान में पढ़ने वाले छात्र हैं जो प्रभावित होंगे।

महाविद्यालय के विरुद्ध पारित किसी प्रतिकूल आदेश द्वारा।

11. यह उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया है।

एमसीआई ने 23 और 24 फरवरी, 2015 को किए गए निरीक्षण के दौरान

न्यूनतम आवश्यकताओं का अनुपालन दिखाने के उद्देश्य से। 2 2 विनियम 8 (3) (1) चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने और छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए दी जा सकती है और वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धियों के सत्यापन के अधीन वार्षिक आधार पर इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। प्रारंभिक अनुमति की समाप्ति से पहले नवीनीकरण के उद्देश्य से (नवीनतम समय अनुसूची के अनुसार) भारतीय चिकित्सा परिषद को आवेदन करना व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। अनुमति के नवीनीकरण की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना और अस्पताल की सुविधाओं का विस्तार पूरा नहीं हो जाता और मेडिकल कॉलेज को औपचारिक मान्यता नहीं मिल जाती। जब तक परिषद की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी स्तर पर आगे प्रवेश नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार किसी भी स्तर पर आवेदक को कमियों से अवगत करा सकती है और उसे कमियों को सुधारने का अवसर और समय प्रदान कर सकती है।

(क) द्वितीय नवीकरण तक अनुमति पत्र के चरण में कॉलेज (यानी तीसरे बैच का प्रवेश):

[यदि संस्थान के किसी भी निरीक्षण/मूल्यांकन के दौरान यह देखा जाता है कि शिक्षण संकाय और/या निवासियों की कमी 30 प्रतिशत से अधिक है और/या बिस्तर अधिभोग 50 प्रतिशत से कम है (पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्र आदि में 45 प्रतिशत), तो ऐसे संस्थान से कमियों के सुधार के अनुपालन पर उस शैक्षणिक वर्ष में अनुमति पत्र (एल. ओ. पी.) जारी करने/अनुमति के नवीनीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

[हालाँकि, परिषद का कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के निरीक्षण केंद्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित महत्वपूर्ण धार्मिक और त्योहार की छुट्टियों के कम से कम 2 दिन पहले और 2 दिन बाद न किए जाएं।] राजपत्र अधिसूचना दिनांक 18.03.2016 के संदर्भ में प्रतिस्थापित/संशोधित/परिवर्तित कोष्ठक वाले भाग।

छल का एक स्पष्ट कार्य है। कुछ निवासियों की अनुपस्थिति के बारे में कॉलेज द्वारा दिया गया औचित्य एक मनगढ़ंत कहानी साबित हुई है। अगर हमने विशेषज्ञों की समिति द्वारा जांच शुरू नहीं की होती, तो कॉलेज द्वारा इस अदालत में की गई धोखाधड़ी सामने नहीं आती। यह सामान्य बात है कि प्रत्येक वादी को साफ हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। एक वादी जो तथ्यों को दबाने और गलत तरीके से प्रस्तुत करने में लिप्त है, वह किसी भी राहत का हकदार नहीं है। एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से इस न्यायालय को गुमराह करने के लिए इस मामले में कॉलेज का आचरण निंदनीय है और कॉलेज से उचित तरीके से निपटा जाना चाहिए।

12. रे में। आर. करुप्पन के खिलाफ सुओ मोटू कार्यवाही,

अधिवक्ता 1, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

" 13. न्यायालयों को वितरण की शक्तियाँ सौंपी गई हैं।

समाज के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए अपराधियों के आपराधिक दायित्व का निर्धारण करने के अलावा पक्षों के प्रतिद्वंद्वी दावों के न्याय का निर्णय। अदालतों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी बाहरी विचार से पक्षपाती नहीं होकर जल्दी और निष्पक्ष रूप से न्याय करें। यदि वाद दायर करके अदालत को गुमराह करने का प्रयास करने वाले वादियों पर वैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं तो न्याय वितरण प्रणाली बर्बाद हो जाएगी।

4 (2001) 5 एस. सी. सी. 289 सर्वेपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय v. यू. ओ. आई. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

और विशेष रूप से मामलों में झूठे साक्ष्य पर भरोसा करते हुए,

जिसका निर्णय तथ्यों के विवरण पर निर्भर करता है। यदि कार्यवाही के परिणाम का सम्मान करना है, तो अदालतों के समक्ष इन मुद्दों को सच्चाई के अनुसार यथासंभव हल किया जाना चाहिए। कार्यवाही की शुद्धता

अदालत को किसी पक्ष द्वारा तुच्छ पर बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

परेशान करने वाले या अपर्याप्त आधार या गलत पर भरोसा करना बाहरी विचारों या अपने प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने या परेशान करने की बदला लेने की इच्छा से प्रेरित साक्ष्य। शपथपत्रों की पवित्रता

सटीकता की परवाह किए बिना गैर-जिम्मेदाराना बयानों को दाखिल करने को हतोत्साहित करते हुए इसे संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए।

मोहन सिंह बनाम। अमर सिंह 3 मामले में, यह देखा गया था

न्यायालयः

" 36. ..... न्यायिक कार्यवाही के अभिलेख के साथ छेड़छाड़ करना और न्यायालय में झूठा हलफनामा दायर करना न्याय के नियत मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति है। यह न्याय की बेदाग धारा के मुक्त प्रवाह को कमजोर और बाधित करता है और इसका उद्देश्य कानून के शासन पर प्रहार करना है। न्याय की धारा को साफ और शुद्ध रखा जाना चाहिए और किसी को भी इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इसकी शुद्धता को दूषित करके इसके साथ स्वतंत्रता ले लो।

13. रिट याचिका के साथ दायर हलफनामे में, मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के डीन श्री एस. एस. कुशवाहा ने कहा कि रिट याचिका की सामग्री उनके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सही है। कॉलेज के अनुसार, 25 और 26 सितंबर, 2017 को किए गए निरीक्षण के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट अनुचित थी क्योंकि संकाय के छह सदस्यों की अनुपस्थिति का औचित्य स्वीकार नहीं किया गया था। रिट याचिका में कहा गया है कि बैरागढ़ के पुलिस उपनिरीक्षक से समन प्राप्त करने वाले उक्त छह डॉक्टर एक मोटर दुर्घटना मामले से संबंधित शिकायत के संबंध में 25 सितंबर, 2017 को सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन में थे। समिति ने छह संकाय सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में कॉलेज द्वारा किए गए दावे की शुद्धता की जांच की। बैरागढ़ पुलिस स्टेशन के सहायक उप-पुलिस निरीक्षक श्री मोहन शर्मा ने कहा कि छह डॉक्टरों को पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आगे की पूछताछ में छह डॉक्टरों डॉ. रितेश कुमावत, डॉ. एम. आर. गायकवाड़, एस. बी. पेटकर,

5 (1998) 6 एससीसी 686 [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डॉ. दीपक कलादगी, डॉ. जितेंद्र गुप्ता और डॉ. राम बल्लभ ठाकुर ने पुलिस स्टेशन से कोई नोटिस मिलने से इनकार किया। डॉ. रितेश कुमावत ने मोटर के संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराने से इनकार किया।

दुर्घटना। समिति के उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि कॉलेज द्वारा एक मनगढ़ंत दस्तावेज के आधार पर गलत बयान दिया गया है। महाविद्यालय द्वारा लिखित याचिका में कहा गया था कि 25 सितंबर, 2017 को निरीक्षण के समय अस्पताल में 365 मरीज थे, लेकिन निरीक्षण दल ने दर्ज किया कि केवल सात मरीज उपलब्ध थे। प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, चिकित्सा अभिलेख विभाग के कम्प्यूटरीकृत डेटा पर निर्भरता रखी गई थी। जनवरी, 2018 से पहले अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों के विवरण का अध्ययन करने के लिए समिति द्वारा एकत्र की गई हार्ड डिस्क खाली पाई गई और कोई डेटा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। रोगियों की वास्तविकता के बारे में कॉलेज द्वारा किया गया दावा

समिति द्वारा की गई जाँच में अस्पताल झूठा निकला। समिति को गंभीर संदेह था कि क्या रोगियों को वास्तव में भर्ती किया गया था। अधिकांश केस शीट, प्रिस्क्रिप्शन, ऑपरेटिव नोट्स आदि। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा बहुत ही गैर-पेशेवर तरीके से लिखा गया है। हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट अस्पष्ट और अधूरी पाई गई। केस शीट की गहन जांच पर, एम्स के विशेषज्ञों ने राय दी कि रोगियों का प्रवेश अनावश्यक था

मामलों की संख्या। अस्पताल के रिकॉर्ड में उल्लिखित नकली और अधूरे पतों को देखते हुए, अधिकांश रोगियों का पता नहीं चल सका। केवल 21 रोगियों की पहचान की गई और इनमें से 8 कॉलेज के कर्मचारी/छात्र निकले। यह सब दर्शाता है कि कॉलेज छात्रों के प्रवेश के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन दिखाने में बड़े पैमाने पर कदाचार में लिप्त रहा है। कॉलेज ने आगे इस न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की कि वह छात्रों के प्रवेश के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए हर तरह से अनुपालन करता है।

14. जिस निर्लज्ज तरीके से कॉलेज भरोसा करने में लिप्त रहा है

अनुकूल आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से इस न्यायालय को गुमराह करने के लिए हेरफेर किए गए अभिलेखों पर गंभीर तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए। हम पाते हैं कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें कॉलेज के डीन श्री एस. एस. कुशवाहा को आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

15. गलत मेडिकल कॉलेजों द्वारा आवश्यक योग्यता प्राप्त किए बिना मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के उदाहरण सामने आए हैं।

अनुमति ली। इस न्यायालय ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय बनाम के मामले में उनके द्वारा की गई अवैधताओं के लिए दंड लागू करके ऐसे विचलित कॉलेजों को कड़ी फटकार लगाई।

यू. ओ. आई. [एल. नागेश्वर राव, जे.]

प्रवेश और छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने के लिए। हमने कुछ मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए नकली शिक्षकों और रोगियों को पेश करने की परेशान करने वाली प्रवृत्ति देखी है। समिति संबंधित अधिकारियों और छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय को धोखा देने के लिए छलपूर्ण तरीकों का सहारा लेने में कॉलेज के बुरे मंसूबों को उजागर करती है। डीन के अभियोजन के अलावा, कॉलेज झूठी गवाही देने के लिए उपयुक्त रूप से दंडित होने के लिए उत्तरदायी है।

16. हम माफी स्वीकार करने के लिए खुद को राजी करने में असमर्थ हैं।

महाविद्यालय की ओर से प्रस्तुत किया गया। कॉलेज आदतन गड़बड़ी में लिप्त रहा है जो 2015 की घटनाओं से स्पष्ट है जब संकाय सदस्य कहीं और काम कर रहे थे और चल रहे थे। अस्पताल। एमसीआई, सरकार और इस अदालत को धोखा देने के प्रयास में कॉलेज द्वारा दिखाए गए साहस की निंदा की जानी चाहिए। द.

इस न्यायालय द्वारा गठित समिति उस उग्रता के कारण है जिसके साथ कॉलेज की ओर से उपस्थित वकील हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वे सभी आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। क्षमा याचना पश्चाताप का कार्य है। जब तक माफी जल्द से जल्द अवसर पर और अच्छी कृपा में नहीं दी जाती है, तब तक माफी पश्चाताप से छीनी जाती है और इसलिए यह उत्तरदायी है अस्वीकार कर दिया। यदि माफी उस समय दी जाती है जब अवमानकर्ता को पता चलता है कि अदालत सजा देने जा रही है तो यह माफी देना बंद कर देता है और कायरतापूर्ण कायरतापूर्ण कार्य बन जाता है। "

17. शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को विधिवत चेतावनी दी गई थी और सूचित किया कि उनका प्रवेश विशुद्ध रूप से अस्थायी था और वे नहीं कर सकते

यदि कॉलेज में बाद में कमी पाई गई तो किसी भी इक्विटी का दावा करें। उन्हें वर्ष 2018 के लिए अन्य कॉलेजों में प्रवेश लेने का निर्देश दिया गया है। 19. इस प्रक्रिया में, छात्रों ने एक बहुमूल्य शैक्षणिक वर्ष खो दिया है। हालाँकि, वे उनसे एकत्र किए गए शुल्क की वापसी के हकदार हैं।

महाविद्यालय में प्रवेश।

18. उपरोक्त कारणों से, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैंः

(i) श्री एस. एस. कुशवाहा, R.K.D.F मेडिकल कॉलेज के डीन

अस्पताल और अनुसंधान केंद्र अर्थात याचिकाकर्ता संख्या 2-आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी है। इस न्यायालय के महासचिव

6 (2015) 4 एस. सी. सी. 580 45.6-भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम। एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय और (2016) 11 एस. सी. सी. 530·31,31.2 और 31.4-भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम। कलिंग आयुर्विज्ञान संस्थान (केआईएमएस) 7 टी. एन. गोडावर्मन थिरुमलपद (102) v. अशोक खोट और अन्र। (2006) 5 पैरा 31 पर एस. सी. सी. 1 [20]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिल्ली में अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में अभियोजन शुरू करने के लिए एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

(ii) कॉलेज को अगले दो वर्षों यानी 2018-19 और 20 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से रोक दिया गया है।

((iii) एक लाख रुपये का जुर्माना। इस अदालत में धोखाधड़ी खेलने पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राशि का भुगतान टी को किया जा सकता है

(iv) छात्र शैक्षणिक वर्ष के लिए कॉलेज में प्रवेश के लिए उन्हें धनवापसी प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अलावा, कॉलेज को उक्त छात्रों को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

19. तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

लिखित याचिका (नागरिक) सं। 731 2018 का

रिट याचिका को इसके द्वारा शर्तों में खारिज कर दिया जाता है

निर्णय।

अंकित ज्ञान

पी लिखें।